उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग–4
संख्या–1505 / 14–4–2010–872 / 2007
लखनऊ, दिनांक, 09 जून, 2010

अधिसूचना
प्रकीर्ण

चूँकि वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम,1972 (अधिनियम संख्या 53 सन् 1972), की धारा–38वी की उपधारा(4) के उपबन्धों के अनुसार अतिमहत्वपूर्ण बाघ प्राकृतवास को चिन्हित करने हतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दुधवा राष्ट्रीय पार्क का 490.29 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्र, किशनपुर वन्य जीव विहार का 203.,41 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्र तथा कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार का 400.09 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्र कुल 1093.79 कि0मी0 क्षेत्र को दुधवा टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाईगर हैबिटैट अधिसूचित करने की संस्तुति की गई है, जिसे बाघ संरक्षण हेतु अक्षत रखा जाना है। अतएव, अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 38वी के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में वर्णित दुधवा टाईगर रिजर्व का 1093.79 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र दुधवा टाईगर रिजर्व के लिए कोर या अति महत्वपूर्ण बाघ प्राकृत वास होगा और उसे अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किये बिना टाईगर संरक्षण के प्रयोजन के लिए अक्षत रखा जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

शंका के निवारण के लिए एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वन निवासियों का उक्त कोर या अति महत्वपूर्ण बाघ प्राकृत वास विवस्थापन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 48 सन्, 2006) की धारा 2 के खण्ड (ख) एवं धारा 4 की उपधारा 2 के साथ गठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 38 वी की उपधारा(पांच) के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

अनुसूची

कम संख्या	संरक्षित क्षेत्र का नाम	संरक्षित क्षेत्र के शासकीय अधिसूचना संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)
1.	दुधवा राष्ट्रीय पार्क	उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–3 अधिसूचना सं. 6991 / 14–3–1, दिनांक 21 जनवरी, 1977	490.29
2.	किशनपुर वन्य जीव विहार	उ0प्र0 शासन अधिसूचना सं.–1111 / 14–3 31 / 1971, दिनांक 07अक्टूबर, 1972	203.41
3.	कतरनियाधाट वन्य जीव विहार	उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–3 अधिसूचना सं. 388 / 14–3–1 / 1976, दिनांक 31मई, 1976	400.09
		योग–	**1093.79**

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shashan
Van Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no . 1505 /14-4-2010-872/2007 dated, 09 June, 2010.

NOTIFICATION
Miscellaneous

No. 1505 /14-4-2010-872/2007
Lucknow, Dated, 09 June, 2010

Whereas the expert Committee set up in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 38-V of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (Act no. 53 of 1972) under e Chairmanship of the Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh to identify Critical Tiger Habitat has recomended that 490.29 square kilometre area of Dudhwa National Park, 203.41 square kilometre area of Kishanpur Wildlife Sanctuary and 400.09 square kilometre area of Katarniaghat Wildlife Sanctuary, totaling 1093.79 square kilometre area should be notified as the Critical Tiger Habitat of Dudhwa Tiger Reserve, which is to be kept inviolate for conservation of tigers.

Now, Therefore, in excersice of the powers under section 38-V of the aforesaid Act, the Governor is pleased to notify that the area of 1093.79 square kilometre areas of Dudhwa Tiger Reserve, described in the Schedule below, shall be the Core or Critical Tiger Habitat for Dudhwa Tiger Reserve and be kept as inviolate for the purpose of tiger conservation without affecting the rights of the Scheduled Tribes or such other forest dwellers.

Explanation:

For the removal of doubts it is hereby clarified that re-localation of Scheduled Tribes and other forest dwellers from the said Core or Critical Tiger Habitat shall be carried out in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 38-V of the aforesaid Act read with clause (b) of section 2 and sub-section (2) of section 4 of the Scheduled Tribes and ier Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (Act no. 48 of 2006).

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Protected Area	Government Notification number of the Protected Area	Area (Square Kilometre)
1	Dudhwa National Park	U.P. Government Forest Section-3 Notification No. 6991/14-3-1, dated January 21,1977	490.29
2	Kishanpur Wildlife Sanctuary	U.P. Government Notification No. 1111/14-3-1/1971, dated October, 7, 1972	203.41
3	Katarniyaghat Wildlife Sanctuary	U.P. Government Forest section-3 notification No. 388/14-3-1, dated May 31, 1976	400.09
	Total		**1093.79**

Chanchal Kumar Tewary
Principal Secretary.

C:\APS\GO.doc

संख्या—1505(1)/14—4—2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के आलेख्य की एक प्रति सहित अधीक्षण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को सरकारी गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करें।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या—1505(2)/14—4—2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2— प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव) उ0प्र0, लखनऊ।
3— मुख्य वन संरक्षक(वन्य जीव) उ0प्र0, लखनऊ।
4— समस्त मंडलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5— समस्त वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0।
6— फील्ड डायरेक्टर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (पलिया) खीरी
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।